1/11/21

याचिका एक प्रशासनगांव के संग अभियान के अन्तर्गत कोरा खुदाला पेश हुई। पक्षकारान के मध्य समझौता नहीं हुआ। चूंकि विवादित प्राथमिक विवादित गोरखी के रेकॉर्ड खातेदार नहीं है इसका निपटारा वाद पत्र के तहत होगा। अतः प्राथमिक का आदेश धारा 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। याचिका विधि सम्मत होकर डिक्री हो।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पं.स. सिणधरी/पाँचला कलां
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested